



**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**

सत्यमेव जयते

S.B. Criminal Misc. Suspension Of Sentence Application (Appeal)

No. 428/2026

CNR: RJHC020211102026 | URN: SOSA / 854U / 2026

In

S.B. Criminal Appeal no-489/2026

Pramanand S/o Shrilal, Aged About 48 Years, R/o Jainagar Police Station Anta, District Baran (Presently Lodged In Central Jail, Kota)

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor

-----Respondent

For Petitioner(s) : श्री भीमसिंह मीना

For Respondent(s) : श्री गौरव गुप्ता, लोक अभियोजक

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

19-08-2026

अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से विचारण न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कम-1, बारां, राजस्थान द्वारा सेशन प्रकरण संख्या-23/2017 सरकार बनाम परमानन्द वगैरह में पारित निर्णय व दंडादेश दिनांक 11.02.2026 के विरुद्ध यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा अभियुक्त को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किया जाकर अर्थदण्ड सहित अधिकतम पांच वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया है ।

बहस सुनी गई ।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी/अभियुक्त का तर्क रहा है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का समग्र विवेचन व विश्लेषण किए बिना आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश पारित किया गया है ।



उनका निवेदन है कि अपीलार्थी अभियुक्त विचारण के दौरान काफी समय तक न्यायिक अभिरक्षा में रहा है , तत्पश्चात् वह निर्णय की दिनांक 11.02.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है । अपीलार्थी की अभिरक्षा अवधि लगभग दो वर्ष छः माह हो चुकी है। साक्षीगण के कथनों में विरोधाभास है । उनका यह भी निवेदन है कि अपील में उनके द्वारा जो आधार लिए गए हैं उसके आधार पर अपीलार्थी दोषमुक्त होने योग्य है, प्रस्तुत अपील के निस्तारण में समय लगेगा। अतः सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

योग्य लोक अभियोजक ने सजा स्थगन प्रार्थना पत्र का विरोध किया।

हमने दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों व वितर्कों पर मनन किया व उपलब्ध साक्ष्य व सामग्री का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों, अपीलार्थी की अभिरक्षा अवधि एवं अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए गुणावगुण पर टिप्पणी किए बिना यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद 50,000/— रूपए (अक्षरे पचास हजार रुपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं 25,000—25000/—रूपए (अक्षरे पच्चीस—पच्चीस हजार रुपये) की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वह इस न्यायालय में दिनांक **18.09.2026** को एवं तत्पश्चात् जब भी उसे आदेशित किया जावे, उपस्थित होता रहेगा, तो अपीलार्थी/अभियुक्त **परमानंद पुत्र श्रीलाल** को अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

विचारण न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आक्षेपित निर्णय के तहत दिए गए दण्डादेश (**sentence**) का क्रियान्वयन इस अपील के अन्तिम निर्णय तक स्थगित रखा जाता है।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J